न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी :– सुभाष चन्द आर.ए.एस..

मैनुअल प्र.सं. : 27 / 2025

जीसीएमएस : 2025 / 222

01. रविन्द्र सिंह पुत्र श्री अमरीक सिंह जाति जटसिख साकिन 54 आरबी तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राज.। —प्रार्थी

बनाम

1. रामेश्वर लाल पुत्र श्री दुलाराम
2. रामकुमार पुत्र श्री दुलाराम
3. ओमप्रकाश पुत्र श्री अनीराम
4. जीत राम पुत्र श्री अनीराम
5. मंगला राम पुत्र श्री अनीराम
6. श्योपतराम पुत्र श्री अनीराम

} जाति मेघवाल निवासीयान गंगूवाला सिखान तहसील पदमपुर जिला श्री गंगानगर।

7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर। —:अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:— 27.05.2025

उपस्थित अधिवक्ता:—

1. श्री प्रीतमसिंह गिल प्रार्थी अधि.।
2. श्री जगतपाल औलख अप्रार्थी सं. 1 ता 6 अधि.।

——निर्णय——

दिनांक 30.06.2025

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क की उपधारा (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरी वाके चक 54 आरबी तहसील रायसिंहनगर संयुक्त खाता सं. 3/2 में अन्य भूमि के अलावा प.नं. 150/266 मु.नं. 16 के कि.नं. 3/1 ता 5, 16 ता 25 की कुल 3.162 है. नहरी मय खाला खातेदारी मे आवेदक की 1/3 हिस्सा खातेदारी कृषि भूमि है। प्रार्थी अपने खेत में आने—जाने व जोत कार्य करने हेतु अनावेदकगण धृति में स्वीकृतशुद्वा चालू रास्ता वाके चक 54 आर.बी. तहसील रायसिंहनगर के पं.नं. 146/266 मु.नं. 12 के कि.नं. 22/2 की 0.013 है., 23/2 में 0.013 है., 24/2 की 0.013 है., 25/2 की 0.013 है. आवेदक व अन्य को उसकी धृति चक 54 आरबी के मु.नं. 16 से जोड़ता है, इसके अलावा यह रास्ता सार्वजनिक हितार्थ उपयोग—उपभोग होकर दो गांवों चक 54 आर.बी. व गंगूवाला जाटान को आपस में जोड़ता है और आवागमन के हल्के व भारी वाहनों का आना—जाना रहता है। चूकि उक्त स्वीकृत रास्ता दो गांवों का आपस में जोड़ता है साथ में ही आवेदक व सहकाश्तकार को मुरब्बा नं. 16 में स्थित कृषि भूमि तक पहुंच होती है। मगर समयानुसार कृषि कार्यो के लिए अति आवश्यक कृषि यंत्रों, जैसे ट्रेक्टर—ट्राली मय बिड, बडी कम्बाईन इत्यादि की लंबाई—चौड़ाई एवं दो गांवों को इस रास्ता से आपस में जुड़ाव होने से [illegible] के साधनों बस, ट्रक, कम्बाईनों, बिड लगी ट्रेक्टर—ट्राली [illegible] उक्त चालू रास्ता की चौड़ाई कम होने [illegible] जनता को भारी कठिनाईयों व परेशानियों [illegible] कृषि कार्य प्रभावित होने से अ[illegible]। जबकि मौका स्वीकृतशुद्वा रास्ता के साथ—साथ चिपते अनावेदकगण के रकबा व[illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra

Date: 2025.07.10 17:44:25 IST

Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर

AnyScanner

चक 54 आर.बी. के पं.नं. 146/266 मु.नं. 12 के कि.नं. 22/1 की 0.240 है. बारानी में से एक बिस्वा यानि 0.012 है., 23/1 की 0.240 है. नहरी में से एक बिस्वा यानि 0.012 है., 24/1 की 0.240 है. नहरी में से एक बिस्वा यानि 0.012 है. 25/1 की 0.240 नहरी में से एक बिस्वा यानि 0.012 है. कुल चार बिस्वा यानि 0.048 है. रास्ता चला आ रहा है जिससे रास्ता की चौड़ाई मौका पर दो–दो बिस्वा हो जाती है जो आवेदक को अपनी जोत में पहूंचार्थ व सावर्जनिक हितार्थ उपयोगी है। उपरोक्त स्थिति व परिस्थितियों के मध्यनजर स्वीकृत रास्ता को एक–एक बिस्वा और चौड़ा कर स्वीकृत किया जाना अति आवश्यक है, जिसे स्वीकृत करने में कोई बाधा नहीं है। अतः आवेदन मय हल्फनामा पेश कर निवेदन है कि आवेदन आवेदक स्वीकार फरमाया जाकर सार्वजनिक हितार्थ वा आवेदक व सहखातेदार को अपनी जोत में पहुंच के प्रयोजनार्थ अनावेदगण की धृति में स्वीकृतशुद्वा चालू रास्ता को चौड़ा करते हुये वाके चक 54 आरबी के पं.नं. 146/266 मु.नं. 12 में अनावेदक रामेश्वरलाल के कि.नं. 22/1 की 0.240 है. नहरी में से एक बिस्वा यानि 0.012 है., अनावेदक रामकुमार कि.नं. 23/1 की 0.240 है. नहरी में से एक बिस्वा यानि 0.012 है., अनावेदक ओमप्रकाश–जीतराम –मंगलाराम व श्योपतराम के कि.नं. 24/1 की 0.240 है. नहरी में से एक बिस्वा यानि 0.012 है. 25/1 की 0.240 नहरी में से एक बिस्वा यानि 0.012 है. कुल चार बिस्वा यानि 0.048 है. चालू रास्ता स्वीकृत फरमाया जावे।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण जरिये रजि. नोटिस तलब किया गया एवं तहसीलदार रायसिंहनगर से मौका जांच रिपोर्ट हेतु पत्र जारी किया गया है। अप्रार्थी सं. 1 ता 6 की तरफ से श्री जगतपाल औलख अधिवक्ता ने वकालतनामा व जवाब प्रार्थना पत्र मय राजीनामा पेश किया। जवाब प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि चक 54 आरबी के पं.नं. 146/266 मु.नं. 12 में अनावेदक रामेश्वरलाल के कि. नं. 22/1 की 0.240 है. नहरी में से एक बिस्वा यानि 0.012 है., अनावेदक रामकुमार कि.नं. 23/1 की 0.240 है. नहरी में से एक बिस्वा यानि 0.012 है., अनावेदक ओमप्रकाश–जीतराम–मंगलाराम व श्योपतराम के कि.नं. 24/1 की 0.240 है. नहरी में से एक बिस्वा यानि 0.012 है. 25/1 की 0.240 नहरी में से एक बिस्वा यानि 0.012 है. कुल चार बिस्वा यानि 0.048 है. चालू रास्ता स्वीकृत होने से रास्ता क चौड़ाई मौका पर दो–दो बिस्वा हो जाती है, इसलिये प्रस्तावित रास्ता बिना मुआवजा स्वीकृत किया जाता है तो उसमें मिन अनावेदक को कोई ऐतराज नहीं होगा ना ही भविष्य में मिन अनावेदक व उसके वारिसान कोई उजर–ऐतराज या क्लेम करेगें। इसी के साथ दिनांक 27.06.2025 को राजीनामा पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य लोक अदालत की भावना से सार्वजनिक हितार्थ पहले से स्वीकृत रास्ता [illegible] बिना किसी मुआवजा के आदान–प्रदान के स्वीकृत क[illegible] राजस्व अभिलेखों में अंकन करवाया जाना [illegible] पेश कर निवेदन है कि राजीनामा तस्दीक फरमाया ज[illegible] मुताबिक राजीनामा प्रकरण निस्तारण के आदेश फरमावे। राजीनामा [illegible] राजीनामा पर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के हस्ताक्षर करवाये [illegible] उभय पक्ष अधिवक्ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.07.10 17:44:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

ने प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के हस्ताक्षर को प्रमाणित किया। राजनीमा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया गया।

3. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं राजीनामा दिनांक 27.06.2025 का अवलोकन किया गया। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है अतः उक्त प्रार्थना पत्र में तहसीलदार रायसिंहनगर से मौका रिपोर्ट लिया जाना उचित नहीं है राजीनामा के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आरटीएक्ट न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

–:आदेश:–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के राजीनामा दिनांक 27.06.2025 के अनुसार स्वीकार किया जाकर चक 54 आरबी के पं.नं. 146/266 मु.नं. 12 के कि.नं. 22/1 में 0.012 है., कि.नं. 23/1 में 0.012 है., कि.नं. 24/1 में 0.012 है. 25/1 में 0.012 है. कुल चार बिस्वा यानि 0.048 है. बारानी चालू रास्ता को गैरमुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। रास्ता बिना किसी मुआवजा के आदान–प्रदान कर स्वीकृत किया जाता हैं निर्णय की प्रति तहसीलदार रायसिंहनगर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
जिला श्रीगंगानगर,राजस्थान

निर्णय आज दिनांक 30.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर
जिला श्रीगंगानगर,राजस्थान

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2025.07.10 17:44:25 IST
Reason: SelfAttested

SCAN AnyScanner